न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 160/2023–24

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाघमारा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक– 279, दिनांक– 26.02.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. अशोक कुमार रवानी, 2. दिनेश कुमार रवानी, दोनो के पिता– स्व0 सुखलाल रवानी, साकिम– नगरीकला, थाना– तेतुलमारी, जिला– धनबाद, अपनी जमीन मौजा– नगरीकला, मौजा नं0– 230, गत् खाता सं0– 105, गत प्लॉट सं0– 423, नया खाता सं0– 226, नया प्लॉट सं0– 463, रकवा– 06 डिसमील, भूमि क्रेता सतेन्द्र कुमार, पिता– राजदेव प्रसाद, साकिम– आजाद नगर, नियर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, थाना– बैंक मोड़, जिला– धनबद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता एक ही जाति के कहार है तथा विक्रेता थाना– तेतुलमारी एवं क्रेता थाना– बैंक मोड़, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 54 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2024.07.02 15:45:26 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner